न्यायालय उपायुक्त, पाकुड़

Eviction Appl.-01/2022-23

ज्योतिन मराण्डी

बनाम

सुवान मुर्मू

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

आदेश

यह अपील वाद अपीलकर्त्ता ज्योतिन मराण्डी, पिता–स्व0 सकल मराण्डी, सा0–मालीपाड़ा, थाना–पाकुड़ (न0), जिला–पाकुड़ के द्वारा विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के न्यायालय के आर0ई0आर0 वाद सं0–48/2020–21 में दिनांक 10.01.2022 को पारित आदेश के विरूद्ध 1. सुवान मुर्मू, पिता–स्व0 चरण मुर्मू एवं सालेमा सोरेन, पति–स्व0 चरण मुर्मू दोनों का सा0–कुसमाडांगा, थाना– पाकुड़ (न0), जिला– पाकुड़ को पक्षकार बनाते हुए दाखिल किया गया है।

मामला संक्षेप में यह है कि पाकुड़ अंचल अन्तर्गत मौजा–मालीपाड़ा के जमाबन्दी नं0–04 के दाग सं0–365 के अन्तर्गत रकवा 01–10–00 धूर भूमि से इस वाद के अपीलकर्त्ता को SPT Act 1949 की धारा 42 के तहत उच्छेद करने हेतु इस वाद के ऊत्तरवादी द्वारा निम्न न्यायालय में आवेदन दाखिल किया गया। निम्न न्यायालय द्वारा उक्त आवेदन के आधार पर आर0ई0आर0 वाद स0–48/2020–21 संस्थित करते हुए दिनांक 10.01.2022 को पारित आदेश द्वारा इस वाद के अपीलकर्त्ता को प्रश्नगत भूमि से उच्छेद किया गया। यह अपील वाद निम्न न्यायालय द्वारा पारित इसी आदेश के विरूद्ध है।

अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता को एडमिशन के बिन्दु पर सूना गया। उनका कहना है कि प्रश्नगत भूमि के खतियानी रैयत दासु मुर्मू के द्वारा वर्ष 1937 में एक ग्रामीण कागज के द्वारा अपीलकर्त्ता के पिता–स्व0 सकल मराण्डी को प्रश्नगत भूमि दी गई थी। तबसे आजतक प्रश्नगत भूमि पर उनके पिता एवं पिता के बाद उनका दखल कब्जा रहा है। इस आधार पर प्रश्नगत भूमि पर उनका Adverse possession हो गया है। वर्ष 1937 से उक्त भूमि पर उनके पिता द्वारा कच्चा मकान बनाकर बसोबास किया जाता रहा है।

उनका आगे कहना है कि ऊत्तरवादीगण का खतियानी रैयतों से कोई संबंध नहीं है। प्रश्नगत भूमि का किस्म निम्न न्यायालय में नहीं बताया गया है। प्रश्नगत भूमि बाड़ी दोयम कहकर दर्ज है, अतः SPT Act 1949 की धारा 20 एवं 42 इस पर प्रभावी नहीं है। ऊत्तरवादी सं0–02 सलीमा सोरेन को उच्छेदी वाद दायर करने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि संथाल कस्टमरी लॉ के अनुसार महिला (घरजमाई पुत्री को छोड़कर) सम्पत्ति पर कोई हक/अधिकार नहीं है। प्रश्नगत भूमि वर्ष 1937 में ही अपीलकर्त्ता के पिता को दे दी गई थी। अतः SPT Act 1949 की कोई धारा इस वाद में प्रभावी नहीं होगी। उनके द्वारा अपील आवेदन को अंगीकृत करने का अनुरोध किया गया।

अपीलकर्त्ता का दावा है कि प्रश्नगत भूमि उनके पिता को वर्ष 1937 में खतियानी रैयत दासु मुर्मू द्वारा ग्रामीण कागज बनाकर दे दिया गया था। परन्तु उनके द्वारा इस संदर्भ में

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

कोई कागजात दाखिल नहीं किया गया। फलस्वरूप उनका यह दावा स्वीकार करने योग्य नहीं है।

निम्न न्यायालय के अभिलेख में उपलब्ध अंचल अधिकारी, पाकुड़ के जांच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत दाग की भूमि खतियानी रैयत मयरा मुर्मू दीगर के नाम से दर्ज है तथा उत्तरवादी सं0–01 खतियानी रैयत के पौत्र तथा उत्तरवादी सं0–02 खतियानी रैयत के पुत्र वधु है। अतः अपीलर्क्ता का यह दावा कि उत्तरवादीगण का खतियानी रैयत से कोई संबंध नहीं है, स्वीकार करने योग्य नहीं है।

अपीलर्क्ता का दावा है कि प्रश्नगत भूमि बाड़ी दोयम है एवं इस पर SPT Act 1949 की धारा 20 एवं 42 लागू नहीं हो सकती है। परन्तु SPT Act 1949 की धारा 42 केवल वास्तु (बसौड़ी) भूमि पर लागू नहीं हो सकती इसके अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार की रैयती भूमि को कृषि भूमि ही माना गया है। अतः उनका यह दावा भी अस्वीकार्य है।

यहां स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि अविकयशील है तथा कृषि भूमि है। ऐसी भूमि के हस्तान्तरण पर SPT Act 1949 की धारा 20 रोक लगाती है। ग्रामीण कागजात के आधार पर ऐसी भूमि पर दावा किया जाना विधि विरूद्ध है। अपीलार्थी खतियानी रैयत से अपना कोई संबंध स्थापित करने में असमर्थ रहे है।

निम्न न्यायालय के द्वारा पारित आदेश का अवलोकन किया गया। निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश से असहमत होने का कोई आधार नहीं है। अतः अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

उपायुक्त
पाकुड़।

उपायुक्त,
पाकुड

Digitally signed by VARUN RANJAN
Date: 2023.03.02 18:01:10 +05:30
Location: 2001:0:348b:fb58:248a:21af:3557:aac0

Scanned with CamScanner